संख्या- 19 /2017 /331/24-1-17-1833/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय:-राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबनधक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1709/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी /02/400, दिनांक 21.02.2017 एवं पत्र संख्या-1747/मु0म0प्र0(वित्त)/विप्र-1/14-15/आरईसी/02/400,दिनांक 04.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 22,22,97,290/- (रूपये बाईस करोड़ बाईस लाख सत्तानबें हजार दो सौ नब्बें मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अब अवशेष प्राविधानित धनराशि रूपये 77,77,02,710/- (रूपये सतहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख दो हजार सात सौ दस मात्र) में से धनराशि रूपये 7,09,91,570/- (रूपये सात करोड़ नौ लाख इक्यान्नबें हजार पॉच सौ सत्तर मात्र) प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित विवरण में अंकित धनराशि के लिए आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है:-

क्रम0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	जनपद	वैअ की धनराशि (रूपये में)
1	मै0 आर0के0 इन्डीस्ट्रीज, बरेली	काशीराम नगर	रू0 1,12,47,229/-
2	मै0 आर0के0 इन्डीस्ट्रीज, बरेली	फर्रूखाबाद	रू0 54,89,151/-
3	मै0 ईस्ट इण्डिया उद्योग, गाजियाबाद	बांदा	रू0 69,13,547/-
4	मै0 ईस्ट इण्डिया उद्योग, गाजियाबाद	ललितपुर	रू0 10,61,771/-
5	मै0 शिल्पा इलै0, इजीनियर्स, हैदराबाद	ऐटा	रू0 70,02,327/-
6	मै0 पावर ग्रीड ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।	कुशीनगर	रू0 3,92,77,545/-
		योग-	**रू0 7,09,91,570/-**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनेत्तर-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति -30- निवेश-ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 46 -दस-2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 19 /2017/331(1)/24-1-17, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in